

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली पाली

प्रार्थीगण:-

मदनसिंह पुत्र हिरसिंह जाति राजपुत  
निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी  
तह. देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी तह. देसूरी  
जिला पाली जरिये ग्राम विकास  
अधिकारी ग्रा.प. कोटड़ी प.स.देसूरी
2. कन्या पत्नी पूनाराम जाति घांची निवासी  
निवासी कोटड़ी तह. देसूरी जिला पाली

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या : 244 / 2024

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : (2024 / 273 )

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.03.2024	पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप-2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प.7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2024 को पेश हो।  N अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाली	क्र. 580 दि. 19/03/24 की नोटिस जारी।
22/5/24	पगावती उल्लूख हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मय उल्लूख कर निवेदन किया कि प्रार्थी इस निगरानी के अन्तर्गत नहीं थलाता खाएते कर: इस निगरानी के खारीज किया जावे। उल्लूख निगरानी के जरिए निशु खारीज किया जाता है। पगावती फैतल शुमार होकर नम्बर से कर हो। निर्णय सुनाया गया।  N 22/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली	मदनसिंह  N